

'अनुवादक द्विभाषीय (अंग्रेजी एवं हिन्दी), महाधिवक्ता कार्यालय, परीक्षा-2022'

Check List

अनुक्रमांक :-

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
02	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
05	हाईस्कूल अंकतालिका	
06	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
07	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
08	स्नातक उपाधि*	
09	स्नातक अंकतालिका	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग जन/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे) (यदि लागू हो)	
12	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
13	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। (यदि लागू हो)	
14	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। (यदि लागू हो)	
15	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
16	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	
17	विज्ञापन के बिन्दु सं०-08 अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) के	

	क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछनीय अर्हता (Required Eligibility) के अन्तर्गत Yes चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण-पत्र/अभिलेख।	
	1- Is your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2- Are You Employed? अथवा	
	3- Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from any recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation /Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes? अथवा	
	5(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes?	
18	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख। (यदि लागू हो)। (क) प्रादेशिक सेना में (Territorial army) में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।	
	(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "सी" अथवा "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	
	(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हो।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जून, 2022 तक वैध होना चाहिए।

शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हो।

नोट- अभ्यर्थी उक्तानुसार शैक्षिक अर्हता एवं आरक्षण संबंधी अभिलेखों की छायाप्रति के 02 सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....